वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



दिनांक/Dated: 07.06.2017

सा॰/No.: 5-1(426)/2017-PD

प्रेषक / From:

संयुक्त सचिव (प्रशासन) Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To:

The Directors / Heads of all National Labs./Instts. of CSIR Hqrs./Complex/Centres/Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार के निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ हैं।

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum for information, guidance and compliance.

क्रम सं	कार्यालय ज्ञापन सं <i>।</i>	विषय/
S. No	OM No.	Subject
1		Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 – instructions regarding timely issue of Charge-sheet- reg

भवदीय/Yours faithfully,

िकाँद कुम्मर् ७न/५।7 (विनोद कुमार /Vinod Kumar) अवर सचिव (नीति प्रभाग) / US(PD)

संलग्न/Encl. :यथोपरि/As above प्रतिलिपि/Copy to:

Head, IT Division with the request to make this communication available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: jsa@csir.res.in F. No. 11012/04/2016-Estt.(A)

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

Department of Personnel & Training Establishment A-III Desk

Manth Dlank Nam D

North Block, New Delhi — 110001 Dated August 23, 2016

## OFFICE MEMORANDUM

Subject: Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965-instructions regarding timely issue of Charge-sheet - regarding.

The undersigned is directed to refer to DoP&T's O.M. No. 11012/17/2013-Estt.A-III dated 3<sup>rd</sup> July, 2015 on the above mentioned subject and to say that in a recent case, *Ajay Kumar Choudhary vs Union of India Civil Appeal No. 1912 of 2015 dated 16/02/2015*, the Apex Court has directed as follows:

- 2. In compliance of the above judgement, it has been decided that where a Government servant is placed under suspension, the order of suspension should not extend beyond three months, if within this period the charge-sheet is not served to the charged officer. As such, it should be ensured that the charge sheet is issued before expiry of 90 days from the date of suspension. As the suspension will lapse in case this time line is not adhered to, a close watch needs to be kept at all levels to ensure that charge sheets are issued in time.
- 3. It should also be ensured that disciplinary proceedings are initiated as far as practicable in cases where an investigating agency is seized of the matter or criminal proceedings have been launched. Clarifications in this regard have already been issued vide 0.M. No. 11012/6/2007-Estt.A-III dated 21.07.2016.

Contd...

- 4. All Ministries/ Departments/Offices are requested to bring the above guidelines to the notice of all Disciplinary Authorities under their control.
- Hindi version will follow.

Mukesh Chaturvedi)
Director (E)
Tel: 23093176

To

Secretaries of all Ministries/ Departments

Copy to:

- 1. President's Secretariat, New Delhi.
- 2. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
- 3. The Prime Minister's Office, New Delhi.
- 4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
- 5. Rajya Sabha Secretariat/Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
- 6. The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
- 7. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.
- 8. The Secretary, Staff Selection Commission, New Delhi.
- 9. All attached offices under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 10. Secretary, National Council (JCM), 13, Feroze Shah Road, New Delhi.
- 11. CVOs of all Ministries/Departments.
- 12. ADG (M&C), Press Information Bureau, DoP&T
- 13 NIC, Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi (for uploading the same on the website of this Ministry under the Head OMs & Orders ->
  Establishment -> CCS(CCA) Rules and "what is new".

14. Hindi Section, DoP&T

(Mukesh Chaturvedi)

Director (E)

Tele: 2309 3176

फा. सं. 11012/04/2016-स्था.(क) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग स्थापना क-॥ डेस्क

> नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001 दिनांक: 23 अगस्त, 2016

## कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 - आरोप पत्र समय पर जारी करने संबंधी अनुदेशों के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 जुलाई, 2015 के कार्यालय जापन सं. 11012/17/2013-स्था.क-॥ का संदर्भ देने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि हाल ही में अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ सिविल अपील सं. 2015 की 1912 दिनांक 16/02/2015 मामले में शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिया है:

"14 अतः हम निर्देश देते हैं कि किसी निलंबन आदेश का प्रवर्तन तीन माह से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए यदि इस अवधि के भीतर आरोपों का जापन/आरोप पत्र कसूरवार अधिकारी/कर्मचारी को नहीं दिया जाता है; यदि आरोपों का जापन/आरोप पत्र दिया जाता है तो निलंबन में विस्तार करने के लिए एक तर्कसंगत आदेश अवश्य जारी किया जाना चाहिए। जैसे कि इस मामले में, सरकार संबंधित व्यक्ति को राज्य में या राज्य से बाहर इसके किसी भी कार्यालय में किसी भी विभाग में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है ताकि उसे उसके किसी भी स्थानीय या व्यक्तिगत संपर्क से अलग किया जा सके जिसका वह उसके विरुद्ध अन्वेषण में बाधा डालने के लिए दुरुपयोग कर सकता है। सरकार उसे उसका बचाव तैयार करने की अवस्था तक किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने अथवा रिकॉर्ड और दस्तावेजों का प्रबंधन करने से भी रोक सकती है। ....... इसके आलावा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के इस निदेश कि आपराधिक अन्वेषण के लंबित होने से विभागीय कार्यवाही को भी मुल्तवी रखा जाए, का हमारे द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण के महेनज़र अधिक्रमण किया जाता है।"

2. उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में, यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबनाधीन रखा जाता है तो निलंबन के आदेश को तीन माह से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, यदि इस अविधि के भीतर आरोपित अधिकारी को आरोप-पत्र नहीं दिया जाता है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आरोप-पत्र निलंबन की तारीख से 90 दिनों के मियाद के पूर्व जारी किया जाए। चूंकि यदि इस समय-सीमा का पालन नहीं किए जाने पर निलंबन समाप्त हो जाएगा, अतः आरोप पत्र का समय पर जारी होना सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर कड़ी नजर रखना आवश्यक है।

- 3. यह भी सुनिश्चित किया जामा चाहिए कि ऐसे मामलें में जहां किसी अन्वेषण ऐजेंसी ने मामले का अधिग्रहण कर लिया है या आपराधिक कार्यवाही शुरू का दी गई है वहां यथा व्यवहार्य अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी जाए। इस संबंध में दिनांक 21.07.2016 के कार्यालय जापन सं. 11012/6/2007-स्था.क के तहत स्पष्टीकरण भी जारी किए जा चुके हैं।
- 4. सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त दिशानिर्देशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों के संज्ञान में लाए।

(मुकेश चतुर्वेदी)

निदेशक (ई)

दूरभाषा : 23093176

सेवा में.

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

## प्रतिलिपि प्रेषित :-

- 1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
- 4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 6. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
- 7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
- 8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
- 9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
- 10. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (जेसीएम), 13 फिरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली ।
- 11. सभी मंत्रालयों/विभागों के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी।
- 12. एडीजी (एमएंडसी), प्रेस सूचना ब्यूरो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ।
- 13. प्रमआईसी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (इस कार्यालय ज्ञापन को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्यालय ज्ञापन और आदेश→स्थापना→सीसीएस (सीसीए) नियमावली और "नया क्या है" के शीर्षक के अधीन अपलोड करने के लिए)

(मुकेश चतुर्वेदी) निदेशक (ई)

दूरभाषा : 23093176